



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 712) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

सं० 1/प्र02-10/2001-68
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द प्रसाद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग

पटना-15, दिनांक-28 मार्च, 2002

विषय :- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार की स्थापना की स्वीकृति।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप श्री श्रीकृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान, राँची के झारखंड राज्य के क्षेत्राधीन पड़ जाने के कारण उत्तरवर्ती बिहार राज्य में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पटना में एक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी है, जो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना कहलाएगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना के लिए अनुलग्नक-1 एवं 2 में संलग्न विवरणी के अनुसार पद सृजन की स्वीकृति भी राज्य सरकार ने दी है।

2. उपर्युक्त प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान सम्प्रति श्री दीप नारायण सिंह सहकारिता प्रबंधन संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के भवन में किराए पर स्थापित होगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ, यथा-व्याख्यान कक्ष, कार्यालय तथा छात्रावास, उक्त सहकारिता प्रबंधन संस्थान के प्रबंधन से सहमति प्राप्त कर लीज एकरारनामा के आधार पर की जाएगी।

3. प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना की स्थापना पर रुपये 32.50 लाख अनावर्ती एवं रुपये 67.528 लाख आवर्ती अर्थात् कुल 100.028 लाख रुपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान है (व्यय विवरणी अनुलग्नक-2 पर

संलग्न)। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उक्त अनुमान के विरुद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रुपये 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) की राशि का योजना उदव्यय संसूचित हुआ है और उक्त 1.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था द्वितीय वित्तीय अनुपूरक आगणन द्वारा की गयी है।

4. निबंधन (लेखा) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्राधिकार पत्र निबंधक (लेखा), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पदनाम से निर्गत होगा। चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) में होने वाला उक्त रुपये 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) का व्यय, बजट शीर्ष "2053- जिला प्रशासन-093-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना-ए0टी0आई0 की स्थापना हेतु" के अन्तर्गत विकलनीय होगा। चूंकि राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है, इसलिए पूरी राशि सिविल डिपोजिट लेखा शीर्ष "8443" में जमा की जाएगी और विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि की निकासी कर उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग/महालेखाकार, बिहार/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को संस्थान के लेखा के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. योजना प्राधिकृत समिति एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-1

योजना मद में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का प्रस्ताव

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	मूल वेतन	जीवन यापन भत्ता (50 प्रतिशत)	अन्य भत्ते (20 प्रतिशत)	कुल (एक माह) (स्तम्भ 5+6+7X पदों की संख्या)	कुल (एक वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महानिदेशक/निदेशक	22400-24500/ 18400-22400	1	23450	11725	4690	39865	478380
2	संयुक्त निदेशक	12000-16500	1	14250	7125	2850	24225	290700
3	उप-निदेशक	10000-15200	1	12600	6300	2520	21420	257040
4	प्रशासी पदाधिकारी	6500-10500	1	9000	4500	1800	15300	183600
5	वरीय निजी सहायक	6500-10500	1	9000	4500	1800	15300	183600
6	निजी सहायक	5500-9000	1	7250	3625	1450	12,325	147900
7	प्रधान लिपिक/लेखापाल	4500-7000	1	5750	2875	1150	9775	117300
8	नि०व० लिपिक	3050-4590	4	3820	1910	764	25976	311712
9	चालक	3050-4590	1	3820	1910	764	6494	77928
10	आदेशपाल	2550-3200	3	2875	1438	575	14664	175968
11	सहायक प्रोग्रामर (सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर)	5500-9000	1	6025	3013	1205	10243	122916
कुल							195587	2347044

बजट

आवर्ती	अनावर्ती
(recurring)	(non-recurring)
(रु0 लाख में)	(रु0 लाख में)

I. प्रशिक्षण व्यवस्थाएँ :-

(i) दो व्याख्यान कक्ष का किराया	0.53	
833 X 5.30 X 12		
(कमरा सं0-102-30' X 17'-510 वर्गफीट		
कमरा सं0-110-19' X 17'-323 वर्गफीट		
833 वर्गफीट		
@5.30 रु0 प्रति वर्गफीट)		
(ii) व्याख्यान कक्षों में उपस्कर, इत्यादि		5.50
(iii) प्रशिक्षण के लिए ऑडियो-विजुअल एड (audio-visual aids) एवं उपकरण OHP,	0.20	3.50
स्लाईड प्रोजेक्टर, मल्टी-मीडिया प्रोजेक्टर, टेलिविजन, वीडियोआर0, टेप रेकार्डर, ब्लैकबोर्ड, वहाईट बोर्ड, इत्यादि।		
(iv) वाहन-3 मिनी बस/बस/जीप/अरमड़ा का भाड़ा (रु0 500/dayx 30 Day)	7.20	
(v) व्याख्याताओं का मानदेय (रु0 300/lecturer X 6 lecturersX250 days)	4.50	
(vi) कम्प्यूटर केन्द्र के उपयोग का किराया (रु0180/student/dayX30studentsX52 days)	2.808	
(vii) पुस्तकालय का उपयोग (रु0 2000/monthX12months)	0.24	

	आवर्ती (recurring)	अनावर्ती (non-recurring)
II. कार्यालय व्यवस्थाएँ :-		
(i) पदाधिकारियों के कक्ष एवं कार्यालय का किराया। (रु0 5.30 / Sq.ft/monthX1078Sq.ft X 12months) (कमरा सं0-112-19'X14'-226 वर्गफीट कमरा सं0-114-20'X17'-340 वर्गफीट कमरा सं0-115-17'X10'-170 वर्गफीट कमरा सं0-116-19'X18'-342 वर्गफीट 1078 वर्गफीट @5.30 रु0 प्रति वर्गफीट)	0.69	
(ii) पदाधिकारियों के कक्ष एवं कार्यालय के लिए उपस्कर, इत्यादि		6.50
(iii) कार्यालय उपकरण एवं यंत्र (फोटोकॉपीयर, टंकण यंत्र(5), फैंक्स, कम्प्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल, डुप्लीकेटर, दूरभाष (5), बाईडिंग मशीन, इत्यादि।	1.00	12.50
(iv) वाहन- (स्टाफ कार-1) (रु030 / litre/monthX125litresX12monthsX 2vehicles)	0.45	
(v) बिजली खर्च (रु0 30,000X12)	3.60	
(vi) अनुबंध पर रात्री प्रहरी	0.36	
III. छात्रावास व्यवस्थाएँ		
(i) छात्रावास में 15 कमरों का किराया (रु0 100/room/dayX15roomsX365days)	5.48	
(ii) बेयरा (अनुबंध पर)-3 रु0 1000 /महिने की दर से वर्ष में कुल	1.08	
(iii) अंशकालीक झाड़ूकश	0.12	
IV. सामूहिक सुविधाओं का उपयोग :- (छात्रावास में बिजली, भोजन गृह का उपस्कर, बर्तन, रसोईया, लिफ्ट की सुविधा, जलापूर्ति, म्यूनिसिपल टैक्स, लॉन, सफाई सुविधा इत्यादि। (रु0 15,000 / माहX12माह)	1.80	
V. स्थापना खर्च :-		
(i) वेतनादि (अनुलग्नक-2 के अनुसार)	23.47044	
(ii) यात्रा भत्ता	2.00	
VI. आकस्मिकता :-	12.00	
कुल	67.5284	32.50

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 712-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>